राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	188/2021 दुर्गा देवी बनाम ख्यालीराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणात्मक, दुरुस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 669, 670 ग्राम शुक्लाबास जिसके हाल खसरा नम्बर 956/1.37, 957/1.38, 958/0.03, 959/0.10, 960/0.54, 961/0.36, 962/0.35, 980/0.35 वाके मोजा शुक्लाबास व आराजी साबिक खसरा नम्बर 298 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 347/1.77 वाके मोजा कीरतपुरा तहसील कोटपूतली के खातेदार काश्तकार लादु, फूसा पुत्रान मान हिस्सा 1/2, भगवाना पुत्र परसा हिस्सा 1/4, भूरा उर्फ भंवरा पुत्र रामनाथ 1/4 थे। फूसा पुत्र मान फौत हो गये जिनके वारिस वादी संख्या 1 व 2 है। लादु पुत्र मान फौत हो गये जिनके वारिसान उनके लडके जयनारायण, घीसा पुत्र लादु हुये। जयनारायण फौत हो गये जिनके वारिसान उनकी स्त्री प्रतिवादी संख्या 1 व लडके प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 व लडकिया प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 है। घीसा पुत्र लादू फौत हो गये जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 24 लगायत 30 व स्त्री प्रतिवादी संख्या 31 व लडकिया प्रतिवादी संख्या 32 लगायत 35 है। भगवाना पुत्र परसा फौत हो गये। जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 42 है। भंवरा पुत्र रामनाथ फौत हो गये जिनके वारिस उनके लडके प्रतिवादी संख्या 9 गणपत व कन्हैयालाल है। कन्हैयालाल फौत हो गये जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 19 लगायत 23 है। आराजी हाल खसरा नम्बर 956/1.37, 957/1.38, 958/0.03, 959/0.10, 960/0.54, 961/0.36, 962/0.35, 980/0.35 वाके मोजा शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिसमें साबिक खसरा नम्बर 669, 670 वाके मोजा शुक्लाबास तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 347/1.77 वाके मौजा शुक्लाबास जिसके साबिक खसरा नम्बर 298 वाके मौजा कीरतपुरा है, लादु पुत्र मान का 1/4 हिस्सा था, लादु पुत्र मान के दो लडके जयनारायण, घीसा पुत्रान लादु हुये। जयनारायण पुत्र लादु द्वारा उपरोक्त आराजी में अपना सम्पूर्ण 1/8 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जयनारायण पुत्र मांगू को बेचान कर दिया। जिसका अमल राजस्व रिकॉर्ड में दौराने सेटलमेन्ट मुताबिक विक्रय पत्र कर दिया गया है। जयनारायण पुत्र मांगू राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	दुर्गा देवी बनाम ख्यालीराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म में ज
188/2021		

फौत हो गये जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 18 है। उपरोक्त आराजी घीसा पुत्र लादु द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 को बेचान कर दिया। जिसका अमल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इस प्रकार जयनारायण व घीसा पुत्रान लादु द्वारा उपरोक्त आराजी में अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान करने के उपरान्त कोई हिस्सा शेष नही रहा। आराजी हाल खसरा नम्बर 956/1.37, 957/1.38, 958/0.03, 959/0.10, 960/0.54, 961/0.36, 962/0.35, 980/0.35 वाके मोजा शुक्लाबास तहसील कोटपूतली जिसमें साबिक खसरा नम्बर 669, 670 वाके मोजा शुक्लाबास के राजस्व रिकॉर्ड में दौराने सेटलमेन्ट हाल राजस्व रिकॉर्ड मिसल तैयार करते समय पुनः वादीगण के पिता फूसा पुत्र माना के साथ साथ उनके हिस्से में लादु पुत्र मान का नाम दर्ज कर दिया। आराजी हाल खसरा नम्बर 347/1.77 वाके मौजा कीरतपुरा जिसके साबिक खसरा नम्बर 298 वाके मौजा कीरतपुरा के राजस्व रिकॉर्ड में दौराने सेटलमेन्ट हाल राजस्व रिकॉर्ड में मिसल आदि तैयार करते समय वादीगण के पिता फूसा के साथ साथ लादु का नाम दर्ज कर दिया तथा वादीगण के पिता का हिस्सा 1/4 के बजाय लादु, फूसा पिता मान हिस्सा 37/177 दर्ज कर दिया। जबकि लादु पुत्र मान के वारिसान जयनारायण पुत्र लादु व घीसा पुत्र लादु द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी सम्पूर्ण भूमि का बेचान जरिये रजिस्ट्री कर दिया था एवं नका उक्त आराजी से कोई लेना देना शेष नही रह गया था। वादीगण के उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य की जानकारी जयनारायण पुत्र लादु की मृत्यु के उपरान्त उपरोक्त आराजी मुतदाविया के राजस्व रिकॉर्ड में उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के द्वारा स्वंय का नाम दर्ज करवाने के उपरान्त मौके पर वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी। अतः वादीगण दावेदार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 956/1.37, 957/1.38, 958/0.03, 959/0.10, 960/0.54, 961/0.36, 962/0.35, 980/0.35 वाके मोजा शुक्लाबास तहसील कोटपूतली के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व उनके बुजुर्गान जयनारायण पुत्र लादु का नाम हटाया जावे तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 347/1.77 वाके मोजा कीरतपुरा तहसील कोटपूतली में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व 24 लगायत 35 व उनके बुजुर्गान जयनारायण, घीसा पुत्रान लादु का नाम हटाया जावे तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 347/1.77 वाके मौजा कीरतपुरा में वादीगण का हिस्सा दुरुस्त कर 1/4 दर्ज किया जावे, वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	दुर्गा देवी बनाम ख्यालीराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	188/2021	

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या । लगा. 8 व 24 लगायत 35 की और से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब वाद प्रस्तुत किया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 05/03/2021 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री फरमा दिया गया | जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार साक्ष्य-सबूतों का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नही समझा जाता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05/03/2021 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर